रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.) 72

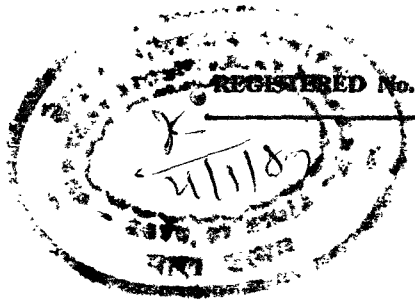

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 261] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 18, 1986/कार्तिक 27, 1908
No. 261] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 18, 1986/KARTIKA 27, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 1986

सं. एफ. 4(14) डब्ल्यू. एण्ड एम./86 :—भारत सरकार एतद्द्वारा दिनांक 28 नवम्बर, 1986 से अगली सूचना तक "182 दिवसीय भारत सरकार राजकोष इंडिया" के निर्गम को अधिसूचित करती है।

2. निवेश के लिए पात्रता : इन हुंडियों को व्यष्टियों, फर्मों, कम्पनियों, निगमित निकायों और संस्थाओं सहित भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति द्वारा धारण किया जा सकता है। लेकिन, राज्य सरकारें और भविष्य निधियां 182 दिवसीय राजकोष हुंडियों में निवेश करने के हकदार नहीं होंगी।

3. निवेश की सीमा : हुंडियों में निवेश करने की कोई सीमा नहीं होगी।

4. मूल्य, निर्गम तिथि और निर्गम का तरीका, अवधि आदि:

(i) 182 दिवसीय भारत सरकार राजकोष हुंडियां 1 लाख रुपए के गुणकों में जारी की जाएंगी, निर्गम की न्यूनतम राशि 1 लाख रुपए (एक लाख रुपए) होगी।

(ii) इन हुंडियों की बिक्री भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई के प्रधान कार्यालय द्वारा निविदा के आधार पर 28 नवम्बर, 1986 को अथवा उसके बाद की जाएगी। और नीलामी की तारीख भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर घोषित की जाएगी। यह हुंडियां भारत सरकार के 91 दिनों वाली राजकोषीय हुंडियों की तरह पट्टे के आधार पर जारी की जाएंगी। परन्तु पट्टे की दर और तदनुरूप निर्गम मूल्य का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नीलामी प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्येक निर्गम के समय किया जाएगा, जिसका ब्यौरा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर घोषित किया जाएगा।

(iii) इन हुंडियों का वापसी-अदायगी उनके निर्गम की तारीख से 182 दिन के समाप्त होने पर सममूल्य पर की जाएगी।

5. प्रारूप : राजकोषीय हुंडियां वचन पत्रों / एस.जी.एल. खाते के रूप में जारी की जाएंगी।

6. हस्तांतरणीयता : यह हुंडियां लोक ऋण अधिनियम, 1944 और लोक ऋण नियम, 1946 की शर्तों के अनुसार, जहां तक वे वचन पत्रों/एस.जी.एल. खाते के रूप में जारी की जाने वाली राजकोष हुंडियों पर लागू होते हैं। हस्तान्तरणीय होगी।

7. वापसी-अदायगी : इन हुंडियों की वापसी-अदायगी परिपक्वता की स्थिति में केवल भारतीय रिज़र्व बैंक, के बम्बई के प्रधान कार्यालय में की जाएगी।

8. 182 दिवसीय भारत सरकार राजकोष हुंडियों की खरीद के लिये निविदा :

(i) इच्छुक निवेशकर्ता को हुंडियों के निर्गम के लिए निर्धारित प्रारूप (फार्म) में निविदा प्रस्तुत करना होगा निवेशकर्ता अलग-अलग फार्मों में विभिन्न दरों पर एक से अधिक निविदा प्रस्तुत कर सकते हैं।

(ii) हुंडियों की बिक्री की नीलामी/निलामी की तारीख से सम्बन्धित प्रक्रिया के ब्यौरे की घोषणा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की जाएगी।

(iii) हुंडियों की खरीद के वास्ते बोली लगाने के लिए निविदा फार्म भारतीय रिज़र्व बैंक, प्रधान कार्यालय, बम्बई से प्राप्त किए जा सकते हैं।

9. पूरक व्यवस्था :

(i) हुंडियों से संबंधित निविदाएं केवल भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रधान कार्यालय, बम्बई में ही स्वीकार की जाएंगी।

(ii) नीलामी का परिणाम भारतीय रिज़र्व बैंक के बम्बई स्थित प्रधान कार्यालय में प्रदर्शित किया जाएगा और सफल बोलीकर्ता को अपेक्षित राशि भारतीय रिज़र्व बैंक, बम्बई के प्रधान कार्यालय में जमा करनी होगी।

10. भारतीय रिज़र्व बैंक निविदाओं की प्राप्ति के बाद प्रत्येक नीलामी में जारी की जाने वाली प्रस्तावित राजकोष हुंडियों की राशि निर्धारित कर सकता है और उसे कोई कारण बताए बिना अथवा सभी बोलियों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का, अगर वह ऐसा करना आवश्यक समझे, पूर्ण अधिकार होगा।

राष्ट्रपति के आदेशानुसार

बी. बालसुब्रह्मण्यन, अपर बजट अधिकारी

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th November, 1986

No. F. 4(14)-W&M|86 :—The Government of India hereby notifies the issue of "182 days. Government of India Treasury Bills", from the 28th November, 1986 until further notice.

2. Eligibility for Investment : The bills may be held by any person resident in India including individuals, firms, companies, corporate bodies, institutions. However, State Governments and Provident Funds are not eligible to invest in the 182 days Treasury Bills.

3. Limit of Investment : There will be no limit for investment in the bills.

4. Price, Date of issue and Method of Issue. Period etc. :

(i) The 182 days Government of India Treasury Bills would be issued in multiples of Rs. 1 lakh, the minimum amount of issue would be Rs. 1 lakh (Rupees one lakh).

(ii) The bills will be sold by the Reserve Bank of India Bombay, Main Office, on or after 28th November, 1986 on tender basis and the date of auction will be announced by the Reserve Bank of India from time to time. The bills would be issued on discounting basis as in case of 91 days Treasury Bills of Government of India. But the rate of discount and the corresponding issue price would be determined at the time of each issue by the Reserve Bank of India under an auction system, the details whereof will be announced by the Reserve Bank of India from time to time.

(iii) The bills will be repaid at par on the expiration of 182 days from the date of their issue.

5. Form : The Treasury Bills will be issued in the form of Promissory Note|S.G.L. Account.

6. Transferability : The bills will be transferable in terms of the Public Debt Act, 1944 and Public Debt Rules 1946, in so far as they are applicable to a Treasury Bill, issued in the form of Promissory Note|S.G.L. Account.

7. Repayment : The bills will be repaid on maturity only at the Bombay Main Office of the Reserve Bank of India.

8. Tenders for Purchasing 182 Days Government of India Treasury Bills :

(i) Intending investor has to tender for the issue of the Bills, in the prescribed tender form. An investor can submit multiple tenders at different rates in separate forms.

(ii) Details of the procedure relating to auction for sale of the bills|date of auction, etc., will be announced by the Reserve Bank of India.

(iii) Tender form for making bids for purchase of the bills can be obtained from the Reserve Bank of India, Main Office, Bombay.

9. Supplementary Provision :

(i) Tenders for the bills will be received only at Reserve Bank of India, Main Office, Bombay.

(ii) The result of auction would be displayed by Reserve Bank of India at its Bombay main Office and the successful bidder will be required to deposit the requisite amount at Reserve Bank of India, Main Office, Bombay.

10. The Reserve Bank of India may determine the amount of Treasury Bills it proposes to issue at each auction after receipt of tenders and it will have the full discretion to accept or reject any or all the bids if deemed fit, without assigning any reason.

By Order of the President
V. BALASUBRAMANIAN, Addl. Budget Officer

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986